HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 16166/2025

Shankar Lal S/o Late Shri Nundaram @ Nanda Ram, Aged About 62 Years, R/o Plot No. 25B, Dev Nagar-C, Rampura Road, Kalyanpura, Police Station Muhana, District Jaipur.
(At Present Accused Petitioner Confined In Central Jail, Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

The State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Bhanu Prakash Sharma Mr. Himanshu Awasthi Mr. Sarthak Chaubey
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Shekhawat, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

24/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता पुलिस थाना मुहाना जिला जयपुर सिटी (दक्षिण) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 144/2022 अपराध अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471, 120–बी भारतीय दंड संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी ने परिवादी को प्लॉट संख्या 57 विक्रय किया, उसमें उसके गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं। प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, उसकी पत्नी पर यह आरोप है कि उसने 2 प्लॉट के 3 प्लॉट बनाकर विक्रय कर दिए और जिनको विक्रय किया उनके मध्य राजीनामा हो चुका है। प्रथम सूचना संख्या 143/22 पुलिस थाना मुहाना और प्रथम सूचना संख्या 142/22 पुलिस थाना मुहाना में इस न्यायालय की समकक्ष पीठ

द्वारा क्रमशः जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 16126/2025 आदेश दिनांक 16.01.2026 तथा जमानत प्रार्थना संख्या 16152/2025 आदेश दिनांक 22.01.2026 में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जा चुका है। प्रथम सूचना संख्या 353/2021, 379 भारतीय दंड संहिता से संबंधित है, जिसमें अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जा चुकी है, तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 29.11.2021 आदेश के द्वारा स्वीकार किया जा चुकी है। इस प्रकरण से संबंधित ताहिर परिवादी ने मंजू देवी के विरुद्ध दीवानी वाद प्रकरण संख्या 168/2021 प्रस्तुत किया गया था, वह दिनांक 25.07.2024 के द्वारा अदम पैरवी में खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त पर केवल मात्र विक्रय पत्र पर गवाह के रूप में हस्ताक्षर करने के आरोप हैं। प्रार्थी/अभियुक्त 62 वर्ष का है, वह दिनांक 13.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है, उससे कोई बरामदगी किया जाना शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्लॉट नंबर 56 व 57 जो उनके स्वामित्व का नहीं है, के कूटरचित दस्तावेज बनाकर कई लोगों को बेच दिए। अतः प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में घटना के तथ्यों के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की पत्नी मंजू देवी का दिनांक 22.05.2020 को परिवादी ताहिर के हक में प्लॉट संख्या 57 की रजिस्ट्री कराई थी। प्रार्थी/अभियुक्त का उक्त रजिस्ट्री में केवल मात्र गवाह के रूप में हस्ताक्षर हैं। प्रथम सूचना संख्या 142/22, 143/22 पुलिस थाना मुहाना में इस न्यायालय के समकक्ष पीठ के द्वारा

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत स्वीकार किया जा चुका है। प्रथम सूचना संख्या 58/2024 पुलिस थाना बनीपार्क में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त 62 वर्षीय होना बताया गया है। वह दिनांक 13.11.2025 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **शंकर लाल पुत्र स्व0 श्री नुंदाराम उर्फ नंदा राम** की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

KISHAN SONI /21